VI

33/2015 601

संख्या:- पांच-9-2015-9(127)/2012टी0सी0

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक,
   चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी
   उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग – 9 लखनऊ: दिनांक 25 अप्रैल, 2015

विषय:- मातृ एवं बाल स्वास्थ्य वर्ष 2015-16 के दौरान हेल्थ मैनेजमेन्ट इनफॉरमेशन सिस्टम (एच.एम.आई.एस.) एवं एम.सी.टी.एस के आधार पर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के कार्यक्रमों की समीक्षा के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 144/पाँच-9-2015-9(127)12 दिनांक 27.01.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष २०१५-१६ को मातृ एवं बाल स्वास्थ्य वर्ष घोषित किया गया है एवं यह निर्णय लिया गया है कि मातृ एवं बाल स्वास्थ्य वर्ष के दौरान हेल्थ मैनेजमेन्ट इनफॉरमेशन सिस्टम (एच.एम.आई.एस.) एवं मदर चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम (एम. सी. टी. एस) को प्रभावी बनाने के लिए शत प्रतिशत डाटा गुणवत्तापूर्ण तरीके से अपलोड किया जाए। इसके अंतर्गत निम्न मुख्य बिन्दुओं पर कार्यवाही किया जाना है-

(1) एच. एम. आई. एस. पोर्टल पर जनपद की समस्त स्वास्थ्य इकाईयों से मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक आकडे समय सीमा में तैयार करके भेजा जाना ।

(2) एच.एम.आई.एस./एस.सी.टी.एस. प्रणाली में महत्वूर्ण कमियों को चिन्हित करना तथा आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार लाना।

(3) ब्लाक, जिला एवं राज्य स्तर पर स्वास्थ्य इकाईवार समीक्षा एच.एम.आई.एस. आंकड़ों, बुलेटिन एवं डैशबोर्ड संकेतकों के आधार पर किया जाना।

(4) प्रत्येक स्तर पर आकड़ो को भरने के निर्णय में सहायक शोध अधिकारी (ए0आर0ओ0) की भूमिका सक्रिय करना तथा इसके लिए उन्हें उत्तरदायी बनाना।

2- **इस हेतु विभिन्न स्तरों पर निम्न कार्य दायित्व निर्धारित होगे :-**

http://shasanadesh.up.nic.in

<u>राज्य स्तर पर :-</u> महानिदेशालय के डेमोग्राफिक एवं इवेल्यूएशन सैल को आवश्यक संसाधनो से सुसज्जित करने हेतु एन0एच0एम0/टी0एस0यू0 प्राथमिकता पर कार्य करें, जिससे महानिदेशालय में मानिटरिंग सम्भव हो सके।

<u>मण्डल स्तर पर :-</u> अपर निदेशक (मण्डल) के निर्देशन में एच0एम0आई0एस0/ एम0सी0टी0एस0 के डाटा के आधार पर साप्ताहिक समीक्षा करना, सम्बिन्धत जनपदों को फीडबैक प्रदान करना तथा आर0सी0एच0 रजिस्टर की अधुनान्तता सुनिश्चित करने के साथ गॉवों की मैचिंग करवाना तथा मण्डल पर आवश्यक प्रशिक्षण आयोजित करवाना आदि महत्वपूर्ण कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित किया जाएगा।

<u>जनपद स्तर पर</u>:-ए.सी.एम.ओ.(आर.सी.एच.) एच.एम.आई.एस./एम.सी.टी.एस. के क्रियान्वयन के लिए नोडल अधिकारी तथा सम्बन्धित रिर्पोटो तथा सूचनाओं के लिए नोडल अधिकारी सहायक शोध अधिकारी (ए0आर0ओ0) होगें।

(क) एच.एम.आई.एस. आधारित समीक्षा बैठक पूर्व निर्देशों के अनुसार होगी जिससे आवश्यक अधिकारियों के साथ ए0आर0ओ0 की सहभागिता एच.एम.आई.एस/एम.सी.टी.एस. में व्याप्त कमियों के निराकरण पर केन्द्रित होगी।

(ख) ए0सी0एम0ओ0 द्वारा जिला एवं विकास खण्डों पर वेलीडेशन समितियों का गठन सुनिश्चित किया जायेगा तथा डाटा को समय से पूर्ण कर भेजा जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ग) राज्य से समय-समय पर प्राप्त निर्देशों का जनपद से अनुपालन करने के साथ भरे जाने वाले ऑकड़ों की पुष्टि जनपदीय ए0आर0ओ0 द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(घ) एच0एम0आई0एस0/एम0सी0टी0एस0 के सुचारू संचालन हेतु सहयोगी पर्यवेक्षक, डाटा मैनेजर को आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किया जाना।

(ड़) **<u>जिला कार्यक्रम प्रबंधक</u>:-** ए.सी.एम.ओ.(आर.सी.एच.) के निर्देशन में उक्त कार्य हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा। समस्त जनपदीय स्वास्थ्य ईकाईयों से एच.एम.आई.एस. के आकड़ों को उपलब्ध कराना भी डी0पी0एम0 का उत्तरदायित्व होगा।

(च) **<u>जिला डाटा मेनेजर</u>** :- **सुशेमा** साफटवेयर पर एच.एम.आई.एस. पर भरे जाना वाले आंकड़ों को पूरी सतर्कता के साथ ए0आर0ओ0 की सहमति उपरान्त साफटवेयर के माध्यम से अपने से उच्च स्तर पर भेजेगा। ए0सी0एम0ओ0 (आर0सी0एच0) तथा डी0पी0एम0 को सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी माह, त्रैमास व छमाही पर, **पोर्टल पर तैयार की गयी सूचना ही, हर स्तर पर भेजी जाये।** सहायक शोध अधिकारी (ए0आर0ओ0) जनपदीय एवं ब्लाक को डाटा मैनेजर के साथ पूर्ण समन्वय स्थापित करते हुए, भरे जाने वाले आंकड़ों की वैधता सुनिश्चित करेगे तथा आंकड़ों की डुप्लीकेसी तथा उपलब्ध करायी जाने वाली सूचनाओं की भिन्नता के प्रति उत्तरदायी होगे। डाटा मैनेजर तथा डी0पी0एम0 द्वारा सूचनाओं का समय से तैयार किया जायेगा एवं प्रत्येक स्तर पर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। एच0एम0आई0एस0/एम0सी0टी0एस0 के पोर्टल पर गर्भवती माताओं, प्रसव, दूध पिलाने वाली

माताओं, शिशुओं तथा बच्चों के टीकाकरण सम्बन्धी सूचनाओं के भरने में आवश्यक सावधानी रखी जाये।

(छ) **जनपद स्तरीय** एच0एम0आई0एस0 कम्प्यूटर आपेरटर, ए0सी0एम0ओ0, आर0सी0एच0 तथा ए0आर0ओ0 के मार्गदर्शन में पोर्टल पर सूचनाओ को तैयार करने के साथ, ए0आर0ओ0 के आवश्यक सहयोग एवं सहमति के उपरान्त ही सूचनाएं अपने से उच्च स्तर पर भेजेगे। डी0पी0एम0, डाटा मैनेजर तथा डाटा आपरेटर समय से कार्य पूर्ण करने, सूचनाएं समय से भेजने तथा विभिन्न प्रकार की अपेक्षित रिपोर्ट, बुलेटिन आदि के लिए उत्तरदायी होंगे।

(ज) **<u>विकास खंड स्तर पर :-</u>** विकास खण्ड स्तर पर भी सूचनायें बनाने, तैयार करने तथा उपलब्ध कराने हेतु प्रभारी के निर्देशन में ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक, ए0आर0ओ0 तथा डाटा मैनेजर संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे।

i. आंकड़ों की वैधता हेतु क्षेत्रीय भौतिक सत्यापन ए0आर0ओ0 द्वारा तथा क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों के द्वारा किया जायेगा। पर्यवेक्षण उपरान्त पायी गई कमियों के निराकरण हेतु, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा समन्वित प्रयास किया जायेगा।

ii. एच0एम0आई0एस0/एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर दर्शाये जाने वाले आंकड़ों के भरे जाने में आवश्यक सावधानी रखी जाये जिससे किसी भी स्तर पर दर्शायी जा रही सेवायें आकड़ो से भिन्न न हो।

iii. ए0एन0एम0 द्वारा दी जा रही सेवाओं का समय से एच0एम0आई0एस0/एम0सी0टी0एस0 पोर्टल में अंकन किया जाय तथा उन्हें सूचनायें तैयार करने में उनके पर्यवेक्षक (महिला/पुरूष) आवश्यक सहयोग प्रदान करे।

iv. ए0एन0एम0 द्वारा माताओं तथा बच्चों को दी जा रही सेवाओं का पोर्टल पर अंकन करने तथा साप्ताहिक व मासिक सूचनाये तैयार करने में डाटा मैनेजर तथा ए0आर0ओ0, द्वारा प्रभारी चिकित्साधिकारी के मार्गदर्शन में आवश्यक सावधानी रखते हुए कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। ब्लाक के प्रबन्धक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ब्लाक स्तर पर किये जा रहे कार्यो का पोर्टल पर उचित प्रकार से तथा समय से क्रियान्वयन हो।

v. सेवा का अंकन भरने से पूर्व दी गयी सेवा की वास्तविकता सुनिश्चित की जाय। ए0एन0एम0 द्वारा ग्रामवार तथा क्षेत्रवार किये जा रहे कार्यो का सम्पादन, पूर्णत: अपने प्रभारी के आदेशों, सुझावों एवं मार्गदर्शन को दृष्टिगत रखते हुए सम्पादित करनी होगी।

vi. प्रत्येक ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के दिन ए0एन0एम0 द्वारा कार्ययोजना के अनुरूप शत-प्रतिशत सेवा प्रदान की जाय तथा योजना में दी गयी सेवा के प्रकोष्ठ में दिनांक का अंकन किया जाये। प्रत्येक गर्भवती महिला एवं बच्चे के लिए मातृ एवं शिशु रक्षा कार्ड बनाया जाना। इसमें विशिष्ट संख्या (यू0आई0डी0) कार्य योजना के अनुसार दिया जाना आवश्यक है, जिससे कि अन्य किसी स्वास्थ्य संस्था में लाभार्थी द्वारा सेवा प्राप्त करने पर उस संस्था से दी गई सेवा की प्रविष्टि सीधे की जा सकें।

http://shasanadesh.up.nic.in

vii. ब्लॉक स्तरीय प्रभारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि ब्लॉक स्तर से माह की जो सूचना ए0आर0ओ0, ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धक व डाटा मैनेजर एच0एम0आई0एस0 द्वारा जनपद को पोर्टल के माध्यम से भेजी गयी वही सूचना विभिन्न प्रकार के प्रारूपों पर तैयार कर जनपदीय कार्यालय में, ब्लाक स्तरीय ए0आर0ओ0 के द्वारा उपलब्ध करायी जाये। इसी प्रकार जनपदीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ए0सी0एम0ओ0 (आर0सी0एच0), ए0आर0ओ0, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक व डाटा मैनेजर भी संयुक्त रूप में यह सुनिश्चित करेंगे कि जिले के प्रारूपों पर तैयार की जाने वाली सूचनाएं वही हो जो जिले के एच0एम0आई0एस0 के पोर्टल पर उपलब्ध है। उक्त सूचना में भिन्नता पायी जाती है तो इसके लिए विशेष रूप से ए0आर0ओ0, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक व डाटा मैनेजर पूर्णत: जिम्मेदार होंगे। इसके अतिरिक्त ब्लाक स्तर पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी एवं जनपद स्तर पर एच0एम0आई0एस0/एम0सी0टी0एस0 के नोडल अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी आर0सी0एच0 एच0एम0आई0एस0/एम0सी0टी0एस0 के पार्टल पर अपलोड की जाने वाली सूचनाओं की गुण्वत्ता के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे ।

कृपया उपरोक्त दिशा-निर्देशों को सम्बन्धित अधिकारियो/कर्मचारियों को तत्काल उपलब्ध कराये तथा दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर जनपद/ मण्डल का कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करना सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 601(1)/पांच-9-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य, उत्तरप्रदेश।
4. परियोजना निदेशक, उ0प्र0 हेल्थ सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग परियोजना।
5. अधिशासी निदेशक, तकनीकी सहयोग इकाई, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी।
7. समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(यतीन्द्र मोहन)
संयुक्त सचिव

http://bhasanadesh.up.nic.in